

दिनांक 17 मई, 2018

### सभी निर्माताओं और अनुज्ञाधारकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश


ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत पंजीकृत सभी विनिर्माताओं / अनुज्ञाधारकों को सूचित किया जाता है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 01 जून, 2018 से मौजूदा मैनुअल भुगतान रसीद प्रणाली से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं को समर्थ बनाने हेतु परिवर्तन कर रहा है:

1. लेबलिंग शुल्क का त्रैमासिक भुगतान।
2. एक ही लेनदेन में एकाधिक आवेदन का समेकित भुगतान।

समीर पंडिता

(समीर पंडिता)

निदेशक



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

**BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**


(Government of India, Ministry of Power)

17<sup>th</sup> May, 2018

**Important instructions to all Manufacturers and Permittee**

All the Manufacturers/Permittee registered under Standards & Labelling Programme of Bureau of Energy Efficiency are hereby informed that BEE shall switch from the existing manual payment receipt system to complete online payment system with effect from 1<sup>st</sup> June, 2018 enabling the following features:

1. Quarterly payment of labelling fee.
2. Consolidated payment of multiple application in a single transaction.

  
(Sameer Pandita)  
Director